



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2018/चैत्र 7, 1940

No. 113]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2018/CHAITRA 7, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय )

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

सं. 70/2015—2020

विषयः—प्रक्रिया पुस्तक 2015—2020 के पैरा 2.54 में संशोधन।

फा० सं० 01/89/180/53/एम-01/पीसी-2(ख)/ई-2382.—विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शब्दियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (2015—2020) के पैरा 2.54 के उप—पैरा (v) (ii) में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

पैरा 2.54 का मौजूदा उप—पैरा (v) (ii)	पैरा 2.54 का संशोधित उप—पैरा (v) (ii)
मौजूदा नामोदिदष्ट समुद्री पत्तन नामतः चेन्नई, कोचिन, इन्नोर, जेएनपीटी, कांडला, मर्मांग, मुम्बई, न्यू मंगलोर, पारादीप, तुतीकोरिन, विशाखापत्तनम, पिपाव, मुन्द्रा और कोलकाता को 31 मार्च, 2018 तक अखंडित स्कैप के आयात के लिए अनुमति होगी और तब तक उन्हें रेडिएशन पोर्टल मानीटर और कंटेनर स्कैनर अधिष्ठापित और प्रचालित करना होगा। ऐसे समुद्री पत्तनों जो समय—सीमा का पालन नहीं करते हैं, की 01.04.2018 से अखंडित धात्तिक स्कैप के आयात के प्रयोजन हेतु मान्यता रद्द कर दी जाएगी।	मौजूदा नामोदिदष्ट समुद्री पत्तन नामतः चेन्नई, कोचिन, इन्नोर, जेएनपीटी, कांडला, मर्मांग, मुम्बई, न्यू मंगलोर, पारादीप, तुतीकोरिन, विशाखापत्तनम, पिपाव, मुन्द्रा और कोलकाता को 31 अक्टूबर, 2018 तक अखंडित स्कैप के आयात के लिए अनुमति होगी और तब तक उन्हें रेडिएशन पोर्टल मानीटर और कंटेनर स्कैनर अधिष्ठापित और प्रचालित करना होगा। ऐसे समुद्री पत्तनों जो समय—सीमा का पालन नहीं करते हैं, की 01.11.2018 से अखंडित धात्तिक स्कैप के आयात के प्रयोजन हेतु मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

**इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** नामोदिदष्ट पत्तनों में रेडिएशन पोर्टल मानीटर और कंटेनर स्कैनर के अधिष्ठापन और प्रचालन की अवधि 31.10.2018 तक बढ़ायी जाती है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**  
**PUBLIC NOTICE**  
New Delhi, the 28th March, 2018  
**No. 70 / (2015-2020)**

**Subject: Amendment in Para 2.54 of the Handbook of Procedures, 2015-2020.**

**F. No. 01/89/180/53/AM-01/PC-2 (B)/ e – 2382.**—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby amends sub-para (v)(ii) of Para 2.54 of the Handbook of Procedure (2015-20) as under:

Existing sub-para (v)(ii) of Para 2.54	Amended sub-para (v)(ii) of Para 2.54
The existing designated sea ports namely Chennai, Cochin, Ennore, JNPT, Kandla, Mormugao, Mumbai, New Mangalore, Paragaphdip, Tuticorin, Vishakhapatnam, Pipava, Mundra and Kolkata will be allowed to import un-shredded scrap till 31 <sup>st</sup> March, 2018 by which time they are required to install and operationalize Radiation Portal Monitors and Container Scanner. Such sea ports which fail to meet the deadline will be derecognised for the purpose of import of un-shredded metallic scrap w.e.f 1.4.2018.	The existing designated sea ports namely Chennai, Cochin, Ennore, JNPT, Kandla, Mormugao, Mumbai, New Mangalore, Paragaphdip, Tuticorin, Vishakhapatnam, Pipava, Mundra and Kolkata will be allowed to import un-shredded scrap till 31 <sup>st</sup> October, 2018 by which time they are required to install and operationalize Radiation Portal Monitors and Container Scanner. Such sea ports which fail to meet the deadline will be derecognised for the purpose of import of un-shredded metallic scrap w.e.f <u>1.11.2018</u> .

**Effect of this Public Notice:** The period for installation and operationalisation of Radiation Portal Monitors and Container Scanner in the designated ports is extended up to 31.10.2018.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade